

उप शासन सचिव, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र संख्या 16)(1) सांख्यिकी 77 दिनांक 17.02.78 की प्रतिलिपि ।

अधिसूचना

आर्थिक एक्ट 1969 (1969 का केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 3 की उप धारा (2) के खण्ड (ख) एवं जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 (1969 का केन्द्रीय अधिनियम 18) की धारा 13 की उप धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, समस्त तहसीलदारों को उक्त अधिनियम के अधीन शपथ पत्र तस्दीक करने हेतु एतद् द्वारा प्राधिकृत करते हैं।

राजस्थान सरकार

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर

क्रमांक:- वीएस/डीईएस/1/72/102/8845-9283

दिनांक 03.03.78

प्रतिलिपि :-

1. समस्त जिला सांख्यिकी अधिकारी.....को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त विकास अधिकारी (अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु) पंचायत समिति.....
..... (जिला.....)
3. समस्त आयुक्त/अधिशायी अधिकारी (रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु) नगरपरिषद/नगरपालिका
..... (जिला)

को भेजकर लेख है कि वो उक्त अधिनियम 1969 की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटेरी पब्लिक के अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा तस्दीक किए गए शपथ पत्र के आधार पर ही जन्म मृत्यु की घटना को दर्ज कर सकते हैं।

-ह०-

निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
राजस्थान, जयपुर।